

हो।

25.08.2022:- पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता कि बहस को मध्यनजर रखाते हुए। प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की गारंटी में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ का प्रर जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील जाखिल दफ्तर हो।

Web Copy - Not Official



सहायक कलक्टर
मुख्य उपायुक्त अधिकारी
हनुमानगढ़